राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

–: प्रेस नोट :–

दिनांक :– 10.06.2019

आयोग द्वारा किये गये नवाचारों की सूचना

दिव्यांगजनों के लिये आयोग के पोर्टल को तर्कसंगत अनुकूल बनाना

आयोग के वेब पोर्टल को दिव्यांगजनों के इस्तेमाल के लिये प्रभावी बनाया गया है ताकि आमजन के अलावा दिव्यांगजनों हेतु उपयोगी बनाया जा सके तथा राईट ऑफ परसन विथ डिसेबिलिटी एक्ट RPDA 2016 की पालना भी सुनिश्चित्त की जा सके। आयोग के पोर्टल में इस हेतु निम्न परिवर्तन कर प्रभावी किये गये है–

1. पोर्टल पर पूर्व में उपलब्ध स्क्रीन रीडर एक्सेस पेज जो कि दिव्यांगजनों (Person with disability) के लिये विशेष रूप से है जिस पर विभिन्न एक्सेसिबिलिटी टूल्स एवं विभिन्न सॉफटवेयर लिंक्स की जानकारी उपलब्ध है जिनका उपयोग दिव्यांगजनों द्वारा किया जा सकता है।
2. केपचा (Captcha) को ऑडिबल (audible) बनाया गया है ताकि दिव्यांगजन इसको आसानी से सुनकर भी इस्तमाल कर सकते हैं।
3. पोर्टल के होम पेज पर एक पोर्टल एक्सेसिबिलिटी शोर्टकट पेज बनाया गया है जिसमें आयोग के वेब पोर्टल के महत्वपूर्ण पेज अथवा लिंक्स के संदर्भ में **की–बोर्ड शोर्टकट बटन** उपलब्ध कराये गये है जो कि दिव्यांगजनों के लिये अत्यंत उपयोगी है।
4. पोर्टल को सभी डिवाईसेज जेसे कि लेपटॉप, डैस्कटॉप, टेबलेट व मोबाईल हेतु पूर्णतय अनुकूल बनाया गया **है**। साथ ही पोर्टल पर सभी आईकन्स को बिना झपकने (without blinking) के समान तैयार किया गया है।
5. पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को प्रभावी रूप से पढने के लिए फोंट साईज को **छोटा व बड़ा** करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है जिनका उपयोग दिव्यांगजन व अन्य द्वारा किया जा सकता है।
6. पोर्टल पर दिव्यांग वर्ग के लिये पोर्टल का टेक्सट एवं बेकग्राउंड को उनके अनुरूप बनाया गया है एवं पोर्टल पर कई रंगों की थीम्स भी उपलब्ध है। साथ ही पूरी वेबसाइट को देखने के लिये **साइट मैप** का पेज दिव्यांगजनों हेतु बनाया गया है।
7. पोर्टल पर डिजिटल कंटेंट्स के शिक्षण संबंधित कार्यवाही दिव्यांगजनों के लिये प्रक्रियाधीन है।

विशेषज्ञ पैनल

आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं, साक्षात्कारों एवं अन्य कार्यों हेतु विशेषज्ञों का एक डाटाबेस ऑनलाईन तैयार किया जा रहा है जिसे आयोग प्रभावी रूप से आवश्यकता अनुसार उपयोग में लेते हुए इसका इस्तमाल करेगा जिससे आगामी आयोग कार्यों को सुचारू एवं समयबद्व कार्यक्रम में पूर्ण किया जा सकेगा।

श्रुतिलेखक पैनल

आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को नियमानुसार श्रुतिलेखक उपलब्ध करवाये जाते है, जिसमें कई बार विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके निराकरण हेतु सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में एक श्रुतिलेखक पैनल तैयार करने हेतु एक ऑनलाइन ऐप्लीकेशन आयोग स्तर से निर्माण किया जा रहा है जिसे जून 2019 से लागू करने की कार्यवाही की जायेगी। इसमें इच्छुक श्रुतिलेखकों से उनकी व्यक्तिगत एवं अंतिम शैक्षणिक योग्यता की जानकारी को जिलेवार बनाकर आयोग की विभिन्न प्रस्तावित आगामी परीक्षाओं में संबंधित जिला कलेक्टर्स के माध्यम से उपलब्ध करवाया जावेगा। इसके अतिरिक्त आगामी परीक्षा आवेदनों में संबंधित अभ्यर्थी से श्रुतिलेखक संबंधित सूचना भी लिये जाने का प्रावधान भी किया गया है।

लाईब्रेरी कम्प्यूटराईजेशन

आयोग की लाईब्रेरी में विभिन्न विषयों की 21175 महत्वपूर्ण किताबें, करीब 8000 जनरल्स एवं करीब 7000 पीरियोडिकल्स उपलब्ध हैं। कम्प्यूटराईजेशन करने की दृष्टि से करीब 20000 किताबों को कम्प्यूटर में फीड किया जा चुका है एवं शेष किताबें, जनरल्स एवं पीरियोडिकल्स की फीडिंग की जायेगी। आयोग के सभी अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को इस सॉफटवेयर के यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध करायें जाएगें ताकि वह स्वयं के कम्प्यूटर पर ही किताबों की उपलब्धता की स्थिति जान सकेंगें।

WiFi सुविधा

बस–स्टैंड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट की भाति आयोग में अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु BSNL की सहायता से एक WiFi जोन तैयार किया गया है जिससे अभ्यर्थी आयोग कैम्पस में WiFi सुविधा के रूप में BSNL के नियमों तहत उपयोग में ले सकता है।

(के. के. शर्मा)
सचिव